रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2005/भाद्र 11, 1927

No. 370] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2005/BHADRA 11, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2005

सं. 77/2005-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 557(अ).— सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 4 के साथ पठित नियम 3 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 36/2005-सी.शु.(गै.टै.), दिनांक 2 मई, 2005 (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

(1) उक्त अधिसूचना में, शीर्षक " सामान्य टिप्पणियों" के अंतर्गत पैराग्राफ 13 बाद निम्नलिखित पैराग्राफों को सम्मिलित किया जाएगा, नामतः :-

" 14. उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची (जिसे इसमें इसके बाद 'उक्त अनुसूची' कहा जाएगा) के अध्याय 42 में पद "चमड़े की वस्तुओं" से अभिप्राय ऐसी किसी वस्तु से होगा जिसमें बाह्य दृष्टिगोचर सतह शोल्डर स्ट्रैप्स अथवा हैंडल्स अथवा फर स्किन ट्रिम्मिंगस, यदि कोई हो, को छोड़कर, का 60 प्रतिशत या उससे भी अधिक भाग चमड़े का हो, चाहे वह वस्तु चमड़े से बनी हो या किसी अन्य सामग्री से ।

15. वस्त्रों और सूती यार्न के संबंध में पद "रंगा हुआ" में "विरंजित/मर्सराइज्ड/छपा हुआ/सम्मिश्रित" शामिल होंगे ।

16. उक्त अनुसूची के अध्याय 64 में शामिल टैरिफ मदों के संबंध में व्यस्कों के लिए चमड़े के जूते, बूट या हॉफ बूट में निम्नलिखित आकार शामिल होंगे, अर्थात् :-

(क) फ्रेंच प्वाइंट/पैरिस प्वाइंट/कांटीनेंटल माप 33 से अधिक,

(ख) इंग्लिश/यू.के. व्यस्क माप 1 और उससे अधिक

(ग) अमेरिकन/यू.एस.ए. व्यस्क माप 1 और उससे अधिक ।

17. उक्त अनुसूची के अध्याय 64 में शामिल टैरिफ मदों के संबंध में बच्चों के लिए चमड़े के जूतों, बूट या हॉफ बूटों में निम्नलिखित आकार शामिल होंगे, अर्थात् :-

(क) फ्रेंच प्वाइंट/पैरिस प्वाइंट/कांटीनेंटल माप 33 तक

(ख) इंग्लिश/यू.के. बच्चों के माप 13 तक

(ग) अमेरिकन/यू.एस.ए. बच्चों के माप 13 तक ।

2. उक्त अनुसूची में,-

(क) अध्याय 33 में, टैरिफ मद 33074100 के सामने कॉलम 5 और 7 में प्रविष्टियों के लिए क्रमशः "25.00" और "5.10" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) अध्याय 41 में,-

(i) टैरिफ मद 410702 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित टैरिफ मद तथा प्रविष्टियों को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"410799	अन्य		1 प्रतिशत		1 प्रतिशत"	

(ii) टैरिफ मद 4113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मदों तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"4113	अन्य जानवरों का चर्म - शोधन या अपघर्षण करने के पश्चात और निर्मित चमड़ा जिसके अंतर्गत पार्चमेंट प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर ऊन या रोम नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं उस चमड़े से भिन्न जो शीर्ष सं0 4114 में हैं ।					
411301	बकरी/मेमने का तैयार चमड़ा	प्रति वर्ग फुट	6.3 प्रतिशत	5.00	1.9 प्रतिशत	1.50
411302	बकरी/मेमने का अस्तर चमड़ा	प्रति वर्ग फुट	6.3 प्रतिशत	2.75	1.9 प्रतिशत	0.80
411399	अन्य		1 प्रतिशत		1 प्रतिशत"	

(iii) टैरिफ मद 4114 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मदों तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"4114	सांभर (जिस में, संयोजन सांभर शामिल है) चमड़ा, पेटेंट चमड़ा और पेटेंट पटलित चमड़ा, धात्वीकृत चमड़ा	प्रति वर्ग फुट	6.3 प्रतिशत	5.00	1.9 प्रतिशत	1.50

(ग) अध्याय 42 में, टैरिफ मद सं. 420503 और 420504 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मदों तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित की जाएंगी,अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"42050301	रोल्स या शीटों में, चमड़े की बुनी हुई जाली/चटाईयां/ पट्टियां/कालीन		2.5 प्रतिशत		0.7 प्रतिशत	
42050302	रोल्स या कटे हुए टुकड़ों में चमड़े की बुनी हुई बेल्टस/ब्रैडस/स्ट्रिप्स/ लैसिस		2 प्रतिशत		0.6 प्रतिशत	
42050303	चमड़े की अन्य वस्तुएं	प्रति कि.ग्रा.	5 प्रतिशत	100.00	1.4 प्रतिशत	28.00
42050304	अन्य सामग्रियों के संयोजन में चमड़े की बनी अन्य वस्तुएं	प्रति कि.ग्रा.	2.8 प्रतिशत	55.00	1 प्रतिशत	20.00"

(घ) अध्याय 57 में,-

(i) टैरिफ मद 570201 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा तथा टैरिफ मद सं. 570202, 570203 और 570204 को टैरिफ मद संख्या 570201, 570202 और 570203 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा ;

(ii) टैरिफ मद सं. 5705 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"5705	अन्य कालीन और					

	अन्य टैक्सटाइल्स फ्लौर कवरिंग, चाहे वे बुने हुए हैं या नहीं					
570501	सूती दरियाँ/सूती गलीचा (जिसमें चिंदी दरियाँ/सूती मखमली डोरी वाली दरियाँ/अपरिष्कृत गलीचा, दरियां/छपी हुई दरियाँ/ड्रगेट्स/मैट और मैटिंग्स जिसमें बा मैट शामिल हैं, जहां भार में सूत की मात्रा अधिक होती है ।)	प्रति कि.ग्रा.	8 प्रतिशत	16.00	3 प्रतिशत	6.00
570502	अन्य	वर्ग मी.	7 प्रतिशत	95.00	2.5 प्रतिशत	34.00"

(ड.) अध्याय 64 में,-

(i) कॉलम 2 में, टैरिफ मद 640303, 640304, 640307,640602 और 640603 के सामने " 34 फ्रेंच प्वाइंट्स आकार का अथवा इसके बराबर एवं इससे अधिक" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) कॉलम 2, 5 और 7 में प्रविष्टियों हेतु -

(क) टैरिफ मद 640309 के सामने प्रविष्टियाँ, "बच्चों के लिए चमड़े के सभी बूटों/अर्ध बूटों/जूतों" के लिए क्रमशः "60" और "17.30" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 640310 के सामने प्रविष्टियां "बच्चों के लिए चमड़े के सभी बूटों/अर्ध बूटों/जूतों, जो कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के तहत चलाए जा रहे यूनिटों द्वारा विनिर्मित है" के लिए क्रमशः " 15.80" और " 7.90" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) टैरिफ मद 640607 के सामने प्रविष्टियां, "बच्चों के लिए सभी बूटों/अर्ध बूटों/जूतों के चमड़े के सभी अप्पर" के लिए क्रमशः "42" और "10.20" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) टैरिफ मद 640608 के सामने प्रविष्टियां "बच्चों के लिए बूटों/अर्ध बूटों/जूतों हेतु चमड़े के सभी अप्पर, जो कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के तहत चलाए जा रहे यूनिटों द्वारा विनिर्मित है" के लिए क्रमशः " 15.80" और "4.70" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(च) अध्याय 70 में, टैरिफ मद 70200090 के सामने कॉलम 4 और 5 में प्रविष्टियों के लिए क्रमशः "8 प्रतिशत" और "15.00" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(छ) अध्याय 74 में,-

(i) टैरिफ मद 741702 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"741702	पीतल एवं अन्य तांबा मिश्र धातु	कि.ग्रा.	11 प्रतिशत	33.00	3 प्रतिशत	9.00 "

(ii) टैरिफ मद 741802 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"741802	पीतल एवं अन्य तांबा मिश्र धातु	कि.ग्रा.	11 प्रतिशत	33.00	3 प्रतिशत	9.00 "

(iii) टैरिफ मद 741902 और 741903 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"741902	पीतल अन्य की वस्तु	कि.ग्रा.	11 प्रतिशत	33.00	3 प्रतिशत	9.00 "
"741903	पीतल एवं विद्युत लेपित निकल चांदी (ईपीएनएस) की कलाकृति/हस्तशिल्प	कि.ग्रा.	11 प्रतिशत	33.00	3 प्रतिशत	9.00 "

(ज) अध्याय 82 में,-

(i) टैरिफ मद 8211 के सामने, कॉलम 3, 4, 5, 6, और 7 में प्रविष्टियों का लोप किया जएगा ;

(ii) टैरिफ मद 8211 के बाद, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"821101	जंगरोधी स्टील का	कि.ग्रा.	11 प्रतिशत	16.00	1.5 प्रतिशत	2.20
821102	अन्य	कि.ग्रा.	7 प्रतिशत	7.00	1 प्रतिशत	1.00"

(iii) टैरिफ मद 8214 के सामने, कॉलम 3, 4, 5, 6, और 7 में प्रविष्टियों का लोप किया जएगा ;

(iv) टैरिफ मद 8214 के बाद, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"821401	जंगरोधी स्टील का	कि.ग्रा.	11 प्रतिशत	24.50	1.5 प्रतिशत	3.30
821402	अन्य	कि.ग्रा.	7 प्रतिशत	11.00	1 प्रतिशत	1.60"

(v) टैरिफ मद 8215 के सामने, कॉलम 3, 4, 5, 6, और 7 में प्रविष्टियों का लोप किया जएगा ;

(vi) टैरिफ मद 8215 के बाद, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7
"821501	जंगरोधी स्टील का	कि.ग्रा.	11 प्रतिशत	24.50	1.5 प्रतिशत	3.30
821502	अन्य	कि.ग्रा.	7 प्रतिशत	11.00	1 प्रतिशत	1.60"

(झ) अध्याय 83 में,-

(i) टैरिफ मद 830101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"830101	पीतल	कि.ग्रा.	11 प्रतिशत	33.00	3 प्रतिशत	9.00 "

(ii) टैरिफ मद 830201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"830201	ब्रास बिल्डर हार्डवेयर	कि.ग्रा.	11 प्रतिशत	33.00	3 प्रतिशत	9.00 "

(iii) टैरिफ मद 830601 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"830601	पीतल एवं अन्य तांबा मिश्र धातु का	कि.ग्रा.	11 प्रतिशत	33.00	3 प्रतिशत	9.00 "

(ञ) अध्याय 95 में,-

(i) टैरिफ मद 950607 के सामने कॉलम 2 में प्रविष्टि हेतु " क्रिकेट बाल, हॉकी बाल और अन्य बाल" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

(ii) टैरिफ मद 95069960 के बाद, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
"95069961	सामान्य शारीरिक एवं कसरत उपकरण जिसमें ट्रैक और फील्ड उपकरण शामिल हैं ।		5 प्रतिशत		5 प्रतिशत	
95069999	अन्य		1 प्रतिशत		1 प्रतिशत"	*

[फा. सं. 609/38/2005-प्रतिअदायगी]

डॉ. एम. सुब्रमण्यम, उप-सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना सं. 36/2005-सीमाशुल्क (गै.टै.) को दिनांक 2 मई, 2005 की संख्या सा.का.नि. 267(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2005

No. 77/2005-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 557(E).— In pursuance of rule 3, read with rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1995, the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.36/2005-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd May, 2005 (hereinafter referred to as the said notification), namely:-

(1) In the said notification, after paragraph 13 under the heading "General Notes", the following paragraphs shall be inserted, namely: -

"14. The term 'article of leather' in chapter 42 of the Schedule annexed to the said notification (hereinafter referred to as the "said Schedule") shall mean any article wherein 60% or more of the outer visible surface area (excluding shoulder straps or handles or fur skin trimming, if any) is of leather notwithstanding that such article is made of leather and any other material.

15. The term "dyed" in relation to fabrics and yarn of cotton, shall include "bleached/mercerised/printed /melange."

16. In respect of the tariff items appearing in Chapter 64 of the said Schedule, leather shoes, boots or half boots for adults shall comprise the following sizes, namely: --

(a) French points/Paris point/Continental Size above 33
(b) English /UK adult size 1 and above
(c) American/USA adult size 1 and above.

17. In respect of the tariff items appearing in Chapter 64 of the said Schedule, leather shoes, boots or half boots for children shall comprise the following sizes, namely: -

(a) French points/Paris point/Continental Size upto 33

(b) English /UK children size upto 13

(c) American/USA children size upto 13

2. In the said Schedule, -

(a) in Chapter 33, for the entries in columns 5 and 7 against tariff item 33074100, the entries "25.00" and "5.10" shall respectively be substituted

(b) in Chapter 41,

(i) after tariff item 410702 and the entries relating thereto, the following tariff item and entries shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"410799	Others		1%		1%"	

(ii) for tariff item 4113 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment - dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114.					
411301	Finished leather of goat/kid	Per sq. ft.	6.3%	5.00	1.9%	1.50

411302	Lining leather of goat/kid.	Per sq. ft.	6.3%	2.75	1.9%	0.80
411399	Others		1%		1%"	

(iii) for tariff item 4114 and the entries relating thereto, the following tariff item and entries shall be substituted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather .	Per sq. ft.	6.3%	5.00	1.9%	1.50"

(c) in Chapter 42, for tariff items 420503 and 420504 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"42050301	Leather woven mesh/mats/ panels/carpets in rolls or sheets		2.5%		0.7%	
42050302	Leather woven belts/ braids/ strips/ laces in rolls or cut pieces		2%		0.6%	
42050303	Other articles of leather	Per kg.	5%	100.00	1.4%	28.00

42050304	Other articles made of leather in combination with other materials.	Per kg.	2.8%	55.00	1%	20.00"

(d) in Chapter 57,-

(i) tariff item 570201 and the entries relating thereto shall be omitted and tariff items 570202, 570203 and 570204 shall be renumbered as tariff items 570201, 570202 and 570203;

(ii) for tariff item 5705 and the entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted, namely :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"5705	Other carpets and other textiles floor coverings, whether or not made-up.					
570501	Cotton Durries/ Cotton Rugs (including Chindi Durries/ Cotton Chenille Durries /Rag Rug Durries/ Printed Durries/ Druggets/Mats and Mattings including Bath Mats, where cotton predominates by weight.	kg.	8%	16.00	3%	6.00
570502	Others.	Sqm	7%	95.00	2.5%	34.00"

(e) in Chapter 64,-

(i) in column 2, against tariff items 640303, 640304, 640307, 640602 and 640603, the words, 'of size 34 French points or its equivalent and above', shall be omitted;

(ii) for the entries in columns 2, 5 and 7-

(a) against tariff item 640309, the entries "All leather boots/half boots/shoes for children", "60" and "17.30" shall respectively be substituted;

(b) against tariff item 640310, the entries "All leather boots/half boots/shoes for children, manufactured by units operating under section 65 of the Customs Act, 1962", "15.80" and "7.90" shall respectively be substituted;

(c) against tariff item 640607, the entries "All leather uppers for boots/half boots/shoes for children", "42" and "10.20" shall respectively be substituted;

(d) against tariff item 640608, the entries "All leather uppers for boots/half boots/shoes for children, manufactured by units operating under section 65 of the Customs Act, 1962", "15.80" and "4.70" shall be respectively substituted;

(f) in Chapter 70, for the entries in columns 4 and 5 against tariff item 70200090, the entries "8%" and "15.00" shall respectively be substituted;

(g) in Chapter74,-

(i) for tariff item 741702 and entries relating thereto, the following tariff item and entries shall be substituted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"741702	of brass and other copper alloys	KG	11%	33.00	3%	9.00"

(ii) for tariff item 741802 and entries relating thereto, the following tariff item shall be substituted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"741802	of brass and other copper alloys	KG	11%	33.00	3%	9.00"

(iii) for tariff items 741902 and 741903 and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"741902	other articles of brass	KG	11%	33.00	3%	9.00
741903	Artware /handicrafts of brass and Electroplated Nickel Silver (EPNS)	KG	11%	33.00	3%	9.00"

(h) in Chapter82,-

(i) the entries in columns 3, 4, 5, 6 and 7, against tariff item 8211 shall be omitted;

(ii) after tariff item 8211, the following tariff items and entries shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"821101	Of stainless steel	KG	11%	16.00	1.5%	2.20
821102	Others	KG	7%	7.00	1%	1.00"

(iii) the entries in columns 3, 4, 5, 6 and 7against tariff item 8214 shall be omitted

(iv) after tariff item 8214, the following tariff items and entries shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"821401	Of stainless steel	KG	11%	24.50	1.5%	3.30
821402	Others	KG	7%	11.00	1%	1.60"

(iii) the entries in columns 3, 4, 5, 6 and 7 against tariff item 8215 shall be omitted.

(vi) after tariff item 8215, the following tariff items and entries shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"821501	Of stainless steel	KG	11%	24.50	1.5%	3.30
821502	Others	KG	7%	11.00	1%	1.60"

(i) in Chapter 83,-

(i) for tariff item 830101 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"830101	Brass	KG	11%	33.00	3%	9.00"

(ii) for tariff item 830201 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"830201	Brass Builder Hardware	KG	11%	33.00	3%	9.00"

(iii) for tariff item 830601, and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"830601	of brass and other copper alloys	KG	11%	33.00	3%	9.00"

(j) in Chapter 95,-

(i) for the entry in column 2 against tariff item 950607 the entry "Cricket balls, hockey balls and other balls" shall be substituted.

(ii) after tariff item 95069960, the following tariff items and entries shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
"95069961	General physical and exercise equipment including track and field equipment		5%		5%	
95069999	Others		1%		1%"	

[F. No. 609/38/2005-DBK]

Dr. M. SUBRAMANYAM, Dy. Secy.

Note.—The principal notification No. 36/2005-CUSTOMS (N.T.) was published in the Gazette of India *vide* G.S.R. 267(E), dated the 2nd May, 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.